मान–सम्मान प्रत्येक इंसान का जन्मजात अधिकार है

अधिकांश लोग पति–पत्नी के झगड़े को आपसी मामला समझ कर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परंतु जिस व्यवहार का असर किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज और समाज की आनेवाली पीढ़ियों पर पड़ता है वह किसी का व्यक्तिगत मामला नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा किसी महिला का व्यक्तिगत मामला होने के साथ–साथ सामाजिक विकास पर भी प्रभाव डालती है। मान–सम्मान इंसान का जन्मजात अधिकार है। अगर किसी के मान–सम्मान का हनन होता है तो हम सभी को उसके खिलाफ आवाज उठाने का हक है।

यदि आप हिंसा करनेवाले को सजा दिलाना चाहते हैं तो कानूनी कार्यवाही हेतु कई दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ सकती हैं अत: घर छोड़ते वक्त कुछ कागजात अपने पास सुरक्षित रख लें।

- अपना स्त्रीधन।
- अपने शादी के सबूत जैसे फोटो, शादी के कार्ड, रजिस्ट्रेशन के कागजात।
- अपना एवं अपने बच्चे का जन्म प्रमाण–पत्र।
- अपना शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, चेकबुक, पासबुक, बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट (यदि हो) इत्यादि।
- संपत्ति संबंधी दस्तावेज–मकान की लीज, खरीदने या बेचने संबंधी कागज, साझी सम्पत्ती के दस्तावेज इत्यादि। अभियुक्त या उसके संबंधियों द्वारा हिंसा से जुड़े दस्तावेज जैसे FIR या DIR की कॉपी, डॉक्टरी जाँच के कागजात, मेडिकल बिल।

समानता पर आधारित स्वस्थ्य समाज के लिए हर प्रकार की हिंसा को समाप्त करने की जरूरत हैं। कारण चाहे जो हो, घरेलू हिंसा को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता।

चुप न रहें, विरोध करें।

महिला विकास निगम, बिहार द्वारा 'स्वस्थ' परियोजना अंतर्गत जनहित में जारी
सहयोग: निर्देश, मुजफ्फरपुर, बिहार

Conceptualised, Designed & Printed By
Ph.: 93865 11055

घरेलू हिंसा

क्या और कैसे?

अत्याचारी से मुँह मोड़ो

अब तुम अपनी चुप्पी तोड़ो

घरेलू हिंसा नि:संदेह मानव अधिकार का हनन है एवं मानव विकास को बाधित करता है!

घरेलू हिंसा किसे कहते हैं?

कोई वयस्क पुरूष यदि घरेलू संबंध में रहने वाली किसी महिला से जैसे–पत्नी पूर्व–पत्नी, विधवा, विवाह के समान रिश्ते में रहने वाली महिला, माता, बहन, लड़की, संयुक्त परिवार की कोई सदस्य बच्चे (बालक–बालिका) से संबंधित आर्थिक, शारीरिक, लैंगिक या भौतिक एवं भावनात्मक हिंसा करता है तो वह घरेलू हिंसा कहलाता है।

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 (PWDVA) क्या है?

घरेलू हिंसा अधिनियम दत्तक, अविवाहित, विवाहित, विवाह जैसी स्थिति में रहने वाली महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाली सभी तरह की हिंसाओं को आच्छादित करता है। साझी गृहस्थी अथवा घरेलू नातेदारी में रह रही महिला के शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं यौनिक हिंसा सुलझाने तथा विभिन्न प्रकार के अधिकार को प्रभावशाली ढंग से सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में वर्णित विधान महिलाओं के प्रति होनेवाली घरेलू हिंसा को रोकने में सहायक है। साथ ही इस अधिनियम में भरण–पोषण एवं रहने के अधिकार को उपबंध किया गया है।

घरेलू हिंसा क्यों होती है?

अधिकतर लोग घरेलू हिंसा के पीछे तनाव, नशा या किसी बीमारी का हाथ मानते हैं पर वास्तव में देखा गया है कि जो लोग घर में महिलाओं के साथ हिंसा करते हैं वे सड़क पर या अपने दोस्तों के साथ कार्यस्थल पर अपने सहकर्मियों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते क्योंकि वहाँ उनका अधिकार नहीं रहता। घरेलू हिंसा हमेशा जानबूझ कर की जाती है और करने वाले व्यक्ति को यह पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति पर उसका सत्ता चल सकती है। पति को इस बात का पूरा विश्वास होता है कि अत्याचार से पीड़ित पत्नी उसके विरूद्ध कभी मुँह नहीं खोलेगी और पति होने के नाते कोई भी उससे जवाब माँगने का साहस नहीं करेगा। अत्याचार या हिंसा करने में यह आधार पर्याप्त है।

आवेदन कौन कर सकता है?

- व्यथित व्यक्ति स्वयं,
- व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, पड़ोसी, सामाजिक कार्यकर्ता, रिश्तेदार जो यह विश्वास करता है कि घरेलू हिंसा की घटना घटी है, घट सकती है या घट रही है।
- व्यथित व्यक्ति की ओर से संरक्षण अधिकारी।

घरेलू हिंसा की शिकायत कहाँ करें?

- घरेलू हिंसा की शिकायत व्यथित व्यक्ति महिला हेल्पलाईन, महिला थाना, पुलिस या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास कहीं भी कर सकती हैं।
- आप **टॉल फ्री महिला हेल्पलाईन नम्बर '181'** पर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं।

घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनी प्रावधान

- **संरक्षण आदेश:** मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति के हित में संरक्षण आदेश पारित कर आरोपी को घरेलू हिंसा का कोई कृत्य करने से, घरेलू हिंसा के कृत्य में मदद करने, व्यथित व्यक्ति जहाँ निवास करता हो या आता–जाता हो उस स्थान में प्रवेश करने से, व्यथित व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार के वैयक्तिक, मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या दुरभाष से सम्पर्क से रोक सकता है।
- **आवासन या निवास आदेश:** आरोपी, पीड़ित महिला को साझी गृहस्थी पर कब्जे से बेदखल नहीं करेगा, ना ही रूकावट डालेगा। यदि महिला साझी गृहस्थी में न रहना चाहे तो आरोपी को व्यवस्था करने का आदेश दिया जा सकता है, जिसका सारा खर्च आरोपी द्वारा वहन किया जाएगा।
- **मौद्रिक या आर्थिक अनुतोष:** काम पर न जाने की वजह से पीड़िता को जो आर्थिक क्षति हुई उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक राहत एक मुश्त या हर महिने देने का आदेश दिया जा सकता है।
- **मुआवजा आदेश:** शारीरिक, मानसिक हिंसा की वजह से पीड़ित को काफी मुसीबतों एवं आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, ऐसे में मजिस्ट्रेट आरोपी को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।
- **अंतरिम तथा एकपक्षीय आदेश:** इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट जैसा उचित या न्यायसंगत समझे अंतरिम तथा एकपक्षीय आदेश पारित कर सकता है। अगर किसी पक्ष को अदालत का फैसला मंजूर नहीं है तो वह पक्ष अदालत द्वारा दिए आदेश के 30 दिन के भीतर सेशन कोर्ट में अपील कर सकता है।
- **हिरासत आदेश:** अगर आरोपी अदालत द्वारा दिए गए सुरक्षा आदेश का पालन नहीं करता है और पीड़ित महिला के साथ फिर से हिंसा करता है तो आरोपी को 1 साल का कारावास या फिर 20,000 रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजा मिल सकती है।

इनमें से एक या एक से अधिक आदेश, जैसा भी न्यायालय उचित समझे, दिए जा सकते हैं।

अधिनियम के अनुसार सुनवाई की तिथि आवेदन प्राप्त किए जाने के पश्चात 3 दिवस के अंदर की निर्धारित की जाएगी एवं मामले को प्रथम सुनवाई से 60 दिनों की अवधि के अंदर निरस्तारित करना है।